न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 2024/007
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. रणजीत सिंह पुत्र श्री पाला सिंह आयु 36 वर्ष जाति जटसिख निवासी सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर। .....प्रार्थी

बनाम

1. मनप्रीत कौर पत्नी स्व0 श्री कर्णवीर सिंह जाति जटसिख निवासी गुरूनानक नगर गली नं. 6 मुलतानियॉ रोड़ बठिण्डा (पंजाब)।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर। .....अप्रार्थीगण

उपस्थित– श्री सुभाष मिढा (प्रार्थी)
श्री विक्रम बिश्नोई (अप्रार्थी 01)
पैरोकार राज (अप्रार्थी–02)

दिनांकः– 31 जनवरी, 2025

–निर्णय–

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली में बहस प्रार्थना पत्र धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किए कि प्रार्थी एवं प्रार्थी के स्व0 भाई कर्णवीर सिंह के नाम से चक 7 बी बडी पटवार हल्का सुजावलपुर तहसील गंगानगर के खाता संख्या 80/63, मुरब्बा नं. 53 का किला नं. 6, 14, 15, 16, 17/1, 25/1 में 0.8150 हैक्टे0 व मुरब्बा नं. 57 के किला नं. 1, 2/1, 9/2, 10, 11, 12/1, 19/2, 20, 21, व 22/1 में 1.8220 हैक्टे0 एवं मुरब्बा नं. 89/19 के किला नं. 0/2 में 0.0380 हैक्टे0 खाल इस प्रकार से कुल 2.6750 हैक्टे0 कृषि भूमि नहरी सयुक्त खाता दर्ज है जिसमें प्रार्थी के नाम से 1/2 हिस्सा यानि 1.3375 हैक्टे0 है। उक्त खाता का विभाजन काफी समय पूर्व आपसी सहमति से किया जाकर प्रार्थी के हिस्सा व कब्जा में खाता संख्या 80/63 मुरब्बा नं. 57 के किला नम्बर 1, 0.228 हैक्टे0, किला नं. 2/1 में 0.1140 हैक्टे0, किला नं. 9/2 में 0.1260 हैक्टे0, किला नं. 10 व 11 सालम किला नं. 12/1 में 0.1270 हैक्टेयर, 19/2 में 0.1260 हैक्टे0, 20 व 21 सालम 22/1 में 0.1140 हैक्टेयर इस प्रकार से कुल 1.8220 हैक्टे0 नहरी भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा प्रार्थी उक्त भूमि अच्छी व घटिया को देखते हुए रास्ता खाला की सुविधाओं सहित प्राप्त है व अरसा दराज से काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के भाई कर्णवीर सिंह का देहान्त दिनांक 25.09.23 को हो गया है, जिसके कोई सन्तान नही है केवल मात्र अप्रार्थी सख्यां 01 पत्नी है, जिसके मन में गलत रूप से लालच आ गया है तथा वे बिना बंटवारा करवाये भूमि, को अच्छा रकबा जिसको प्रार्थी ने काफी खर्चा कर सुधारा है तथा प्रार्थी के कब्जा में चला आ रहा है, को अपना बताकर विक्रय करने की कोशिश में है, अगर अप्रार्थिया संख्या 01 अपने इस उद्देश्य में सफल होती है व बिना विभाजन करवाये विक्रय करती है, तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा मुकदमेबाजी भी बढ़ेगी। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थिया को बार–बार सम्पर्क कर आग्रह किया कि वे उक्त संयुक्त खाते की भूमि का किलावाईज बंटवारा करावें तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त 7 बीघा 10 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम से दर्ज करवाये तथा बिना विभाजन सयुंक्त खाते की भूमि किसी अन्य को विक्रय न करें, परन्तु वे लालचवश होने के कारण टाल–मटोल करते हुए दिनांक 05.04.2024 को साफ इन्कारी हो गई। उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन विद्यमान है। यदि अप्रार्थिया द्वारा उक्त खाता भूमि को बिना विभाजित करवाये प्रार्थी के कब्जा काश्त की कृषि भूमि को किसी प्रकार से रहन बेय एवं हस्तांतरित कर दिया जाता है एवं प्रार्थी को जबरन बेदखल कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी न्यायोचित एवं अपेक्षित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वाद के लम्बनकाल तक अप्रार्थिया उक्त खाता भूमि की प्रार्थी के कब्जा काश्त की कृषि भूमि को किसी प्रकार से रहन बेय करने एवं स्थानातरण करने से व प्रार्थी को जबरन बेदखल करने से बाज व ममनू रहे।

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2017(1) RRT 406 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER, 2017(1) RRT 522 BOARD

OF REV... , AJMER, 2020(2) RRT 108 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER प्रस्तुत किये गये।

प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थिया मृतक कर्णवीर की पत्नी है। कर्णवीर का देहान्त हो गया है। मिन अप्रार्थिया के मन में कभी कोई लालच नही आया। मिन अप्रार्थिया के पति का देहान्त होने से प्रार्थी के मन में अवश्य लालच आ गया हैं। वादग्रस्त भूमि हमेशा से ही अच्छी व साफ–सुथरी हैं। प्रार्थी ने इस भूमि को सुधारने में कोई खर्चा नही किया है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व प्रार्थी के भाई कर्णवीर जो मिन अप्रार्थिया का पति था के नाम दर्ज थी। मिन अप्रार्थिया के पति कर्णवीर का देहान्त होने पर मिन अप्रार्थिया उक्त भूमि अपने नाम दर्ज न करवा लेवे और मिन अप्रार्थिया को परेशान करने के लिए प्रार्थी ने यह झूठा व आधारहीन वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मिन अप्रार्थिया के विरूद्ध गलत एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया हैं और प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य हैं। मिन अप्रार्थिया वादग्रस्त भूमि में निस्फ हिस्सा की खातेदार है और मिन अप्रार्थिया किलावाईज बंटवारा करवाने के लिए सहमत है, मिन अप्रार्थिया वादग्रस्त भूमि की खातेदार हैं और कानूनन रिकार्डिड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी व मिन अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि के बहिस्सा बराबर के खातेदार है। मिन अप्रार्थिया खातेदार होने से मिन अप्रार्थिया के विरूद्ध प्रार्थी कोई अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है। प्रार्थी का न तो प्रथम दृष्टया केस बनता है, ना ही सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतू हमें विधि द्वारा सुस्थापित बिन्दुओ, प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति पर विचारण करना होगा।

प्रथम दृष्टया मामलाः– प्रार्थी द्वारा अपने वाद में जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 चक 7 बी बड़ी के खाता संख्या 80/63 की जमाबंदी प्रस्तुत की है प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है जो कि एडमिट फैक्ट है तथा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित हैं। प्रार्थी ने विवादित अपने हिस्से की जमीन जिसमे की वादी काबिज है को विभाजन करवाने के लिए दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 92ए आरटीए प्रस्तुत किया है अतः बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षतिः– अभिकथनो की पुनरावृति से बचने व सुविधा की दृष्टि से दोनों बिन्दुओ का विवेचन एक साथ किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित हो चुका है। वाद की विषयवस्तु विवादित सम्पति को बिना विभाजन करवाये खुर्दबुर्द करने एवं अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित, रहन, बैय आदि करने से रोकने के लिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत अनुसार खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है। अतः बिन्दू सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

–: आदेश :–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि मूल वाद के निस्तारण तक प्रश्नगत आराजी चक 7 बी बड़ी, पटवार हल्का सुजावलपुर, भू0 अभि0 नि0 क्षेत्र हिन्दूमलकोट, तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 80/63 के मुरब्बा नं0 53 में 0.815 हैक्टे0 नहरी, मुरब्बा नं0 57 में 1.822 हैक्टे0 नहरी, मुरब्बा नं0 89/19 की 0.038 हैक्टे0 खाला, इस प्रकार कुल 2.675 हैक्टे0 नहरी मय खाला कृषि भूमि को उभयपक्ष रहन, बैय व अन्य तरीके से हस्तान्तरण न करें एवं मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से दिनांक 31.01.2025 को सुनाया गया। पत्रावली मूल वाद के निस्तारण तक मूल वाद के साथ नत्थी रहे

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर
कार्यवाहक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर